नोएडा में व्यक्ति का अधजला शव मिला

नोएडा/उत्तम हिन्दू न्यूज: पुलिस को यहां बादलपुर थाना क्षेत्र के कुड़ी खेड़ा गांव में शनिवार सुबह एक मकान में एक व्यक्ति का अधजला शव मिला। अपर पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) अंकुर अग्रवाल ने बताया कि थाना बादलपुर पुलिस को शनिवार सुबह सूचना मिली कि कुड़ी खेड़ा गांव स्थित एक मकान में एक व्यक्ति का अधजला शव पड़ा है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

न्यूज ब्रीफ

पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश घायल

नोएडा/उत्तम हिन्दू न्यूज

नोएडा में शनिवार सुबह पुलिस की दो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा बदमाश फरार हो गया। अपर पुलिस उपायुक्त रणविजय सिंह ने बताया कि शनिवार सुबह करीब छह बजे मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने सेक्टर-27 के पास से मोहम्मद फैजल नामक व्यक्ति से मोबाइल फोन लूट लिया। फैजल ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सेक्टर-18 में बदमाशों को रोक लिया, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस पर ताबड़-तोड़ गोलियां चला दीं। अपर उपायुक्त ने बताया कि पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाईं, जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी निवासी साजिद उर्फ पव्वा के पैर में लगी और उसका साथी पुलिस पर गोलियां चलाते हुए वहां से भाग गया। उन्होंने बताया कि साजिद के पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा, लूटा हुआ मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। उन्होंने बताया कि दूसरे बदमाश की तलाश की जा रही है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

दिल्ली हवाई अड्डे के आसपास लगाये जाएंगे छह हजार पौधे

नई दिल्ली/सुनील कुमार

दिल्ली हवाई अड्डे के आसपास एक साल में छह हजार पौधे लगाए जाएंगे। हवाई अड्डे की संचालक कंपनी दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) ने बताया कि पहले चरण में जुलाई में एक हजार पौधे लगाए जाएंगे। विभिन्न चरणों में एक साल में छह हजार पौधे लगाने की योजना है। उसने बताया कि ये छह हजार पौधे जब पेड़ बन जाएंगे तो सालाना 60 हजार किलोग्राम कार्बन डाई-ऑक्साइड का अवशोषण कर सकेंगे।

डायल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विदेह कुमार जयपुरियार ने 200 पौधे लगाने के साथ इस साल भर के अभियान की शुरुआत की।

दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर 7 दिन में फैसला ले सरकार : एलजी

उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखा पत्र

नई दिल्ली/सुनील कुमार

दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनसे दिल्ली दंगों और सीएए विरोधी प्रदर्शनों से संबंधित मामलों में दिल्ली पुलिस की ओर से पैरवी करने के लिए छह वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त करने के विभाग के प्रस्ताव पर एक हफ्ते के भीतर फैसला लेने के लिए कहा है। अपने पत्र में अनिल बैजल ने कहा कि कार्यवाहक गृह मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए, जबकि पुलिस ने इसके लिए विस्तारपूर्वक स्पष्टीकरण दिया है। सूत्रों की मानें तो दिल्ली पुलिस ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगों के 85 मामलों में उसकी तरफ से पैरवी करने के लिए छह वरिष्ठ वकीलों को नियुक्त करने और नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के 24 मामले विशेष लोक अभियोजक को सौंपने का प्रस्ताव दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि उन्होंने गृहमंत्री से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने और दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव से सहमति जताने का अनुरोध किया था। सूत्रों ने बताया कि मतभेदों को दूर करने के लिए शुक्रवार को बैजल और सिसोदिया के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये बैठक हुई, लेकिन मामले का हल नहीं निकाला जा सका। एक सूत्र ने बैजल द्वारा लिखे पत्र के हवाले से कहा कि चूंकि मतभेद अब भी बना हुआ है तो मैं मुख्यमंत्री से इस मामले को शीघ्रता से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार कानून, 1991 की धारा 45 के तहत जीएनसीटीडी के टीबीआर के 49 नियम के तहत मंत्री परिषद को भेजने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अनुरोध किया जाता है कि मंत्रिमंडल का फैसला जल्द से जल्द, संभवत~ एक हफ्ते के भीतर बता दिया जाए। सूत्रों ने यह भी बताया कि अगर दिल्ली मंत्रिमंडल पुलिस के अनुरोध से सहमत नहीं होता है तो एलजी के पास संविधान के अनुच्छेद 239एए (4) के प्रावधानों के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करने का विकल्प होगा। बता दें कि दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक दंगों से जुड़े मुकदमों में पैरवी के लिए 11 विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति को लेकर जून में सबसे पहले टकराव सामने आया था। उस वक्त दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे पर पुलिस के अनुरोध को खारिज कर दिया था और एलजी ने संविधान के अनुच्छेद 239एए (4) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था।

कोरोना मरीज़ों के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा

नई दिल्ली/उत्तम हिन्दू न्यूज

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने राजधानी में कोरोना संक्रमित रोगियों के आवागमन के आसान और सुरक्षित तथा आरामदायक साधन उपलब्ध करवाने के लिए चौबीसों घंटे मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि पहले चरण में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से लैस 12 एम्बुलैंस को दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर तैनात किया गया है ताकि कोरोना संक्रमित रोगी आपातकाल परिस्थितियों में तत्काल परिवहन सुविधा ग्रहण कर सकें। उन्होंने कहा

कि कोरोना संक्रमित रोगी अस्पताल में आपातकाल सुविधा के अतिरिक्त सामान्य चैकअप, डायलिसिस, कीमोथैरेपी सहित अन्य आपदाओं में इस एम्बुलेंस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में यह एंबुलेंस सेवा गुरुद्वारा नानक प्याऊ, गुरु हरगोबिन्द इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एण्ड इन्फोरमेशन टैक्नालोजी हरगोबिन्द एन्कलेव, गुरुद्वारा मोती बाग तथा गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल हरिनगर परिसरों में तैनात की गई है। इन एम्बुलेंस की सेवा के लिए रोगी सेंट्रल कंट्रोल रूम नंबर 9891403828/ 9953086923 पर डायल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग से फोन नंबर स्थापित किए गए हैं। पश्चिमी दिल्ली के रोगी 9811992175/ 9818676757, पूर्वी दिल्ली के रोगी 9899511581/ 8527154302 दक्षिण दिल्ली के रोगी 8010471440/ 9953333307 तथा उत्तरी दिल्ली के रोगी 9868741345/ 8587944794 पर कॉल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी एम्बुलेंस को कोरोना आपदा प्रबन्धकों से जुड़े उपकरणों से सज्जित किया गया है तथा सभी ड्राईवरों को मास्क, सैनिटाइजर के अलावा सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पर्याप्त सफाई के उपाय अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।

स्टाम्प ड्यूटी घटाना किसान हित में लिया एक बड़ा फैसला : कश्यप

कहा, प्रदेश के लाखों लोगों को मिलेगी बड़ी राहत

करनाल/आशुतोष गौतम

इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी 2000 रुपये से घटाकर 100 रुपये करने का निर्णय का स्वागत किया और कहा कि यह एक सराहनीय कार्य है। सरकार के इस निर्णय से किसानों व आमजन की जेब पर आर्थिक बोझ कम होगा तथा कोरोना काल में जनता को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व वाली राज्य सरकार प्रदेश के किसानों, मजदूरों व गरीब तबके के हित में कई अहम कदम उठा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन सकें। राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी घटाना किसानों व जनसाधारण के हित में लिया गया एक बड़ा फैसला है जिससे प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। विधायक ने कहा कि पहले सहकारी और सरकारी बैंकों से ऋण लेने के लिए प्रत्येक किसान को स्टाम्प डयूटी के रूप में 2,000 रुपये देने पड़ते थे और किसान लंबे समय से इसे घटाने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस निर्णय से किसानों की पुरानी मांग पूरी हुई है।

उन्होंने बताया कि पहले ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा केवल सहकारी संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर ही उपलब्ध थी और इसकी सीमा 1 लाख 50 हजार रुपये थी, परंतु वर्तमान राज्य सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा का दायरा उन किसानों तक भी बढ़ाने का निर्णय लिया है जो किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या सहकारी बैंक से प्रति एकड़ 60 हजार रुपये तक का या अधिकतम 3 लाख रुपये तक का फसली ऋण लेते हैं।

झूठ बोल रहे हैं ईडीएमसी के मेयर : दुर्गेश पाठक

आप ने गलत तरीके से दो साल का एक्सटेंशन देने के दिए सबूत

नई दिल्ली/सुनील कुमार

नियमों को ताक पर रख कर अलाना कंपनी को दो साल के लिए अतिरिक्त एक्सटेंशन देने के मामले में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर ईस्ट दिल्ली के मेयर पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान आप ने मीडिया के सामने कुछ सबूत प्रस्तुत किए। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि एमसीडी के मेयर निर्मल जैन झूठ बोल रहे हैं कि अलाना के अलावा किसी भी कंपनी ने टेंडर के लिए आवेदन नहीं किया था। स्लाटर हाउस का टेंडर लेने के लिए अलाना के साथ तीन अन्य कंपनियों ने आवेदन किया था और इसके दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। वहीं, अलाना कंपनी के साथ टेंडर के लिए आवेदन करने वाले हिंद एग्रो इंडस्ट्रियल लिमिटेड के पार्टनर मोहम्मद शफीक ने दावा किया कि उनकी कंपनी ने दो बार टेंडर के लिए आवेदन किया और उन्हें मेयर के कार्यालय में बुलाया भी गया था। उनसे कहा गया कि सिर्फ 3-4 कंपनियों के आवेदन आने की वजह से फिर से नया टेंडर जारी किया जाएगा और उन्हें वापस भेज दिया गया। दुर्गेश पाठक ने कहा कि 16 जुलाई हमने मेयर निर्मल जैन द्वारा गाजीपुर में चल रहे एक स्लॉटर हाउस के ठेकेदार अलाना कंपनी को असंवैधानिक तरीके से दिए गए 2 साल के अतिरिक्त एक्सटेंशन पर सवाल उठाया था। हमने बताया था कि मेयर ने बिना कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए अलाना कंपनी को 2 साल का अतिरिक्त एक्सटेंशन दे दिया। पाठक ने बताया कि इसके जवाब में ईडीएमसी के मेयर का जवाब उन्हें प्राप्त हुआ। जिसमें उन्होंने कहा है कि टेंडर की प्रक्रिया का पूरा पालन किया गया था और हमने दो बार टेंडर निकाला था। परंतु अलाना कंपनी के अलावा किसी भी कंपनी ने आवेदन नहीं दिया, जिसके चलते हमें अलाना कंपनी को 2 साल का अतिरिक्त एक्सटेंशन देना पड़ा। दुर्गेश पाठक ने तीन कंपनियों हिंद एग्रो इंडस्ट्रीयल लिमिटेड, ईगल कॉन्टिनेंटल फूड्स लिमिटेड, मदीना फ्रोजन फूड लिमिटेड के दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए बताया कि मेयर सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों कंपनियों के दस्तावेज मेयर निर्मल जैन जी के झूठ को पूरी तरह से बेनकाब करते हैं। उन्होंने बताया कि इन दस्तावेजों को देखकर यह पता चलता है कि इन तीनों कंपनियों ने इस टेंडर के लिए आवेदन किया था।

डॉक्टरों को तुरंत कैशलेस मेडिकल की सुविधा देने की मांग

नई दिल्ली/सुनील कुमार

फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (फोर्डा) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों को तुरंत कैशलेस मेडिकल की सुविधा देने की मांग की है। संस्थान का कहना है कि कोरोना संक्रमितों के उपचार करने के दौरान बड़ी संख्या में डॉक्टर संक्रमित हो रहे हैं। अपने पत्र के माध्यम से फोर्डा ने डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर अस्पताल के जुनियर डॉक्टर जोगेन्द्र की मदद करने की गुहार लगाई है। फोर्डा के अध्यक्ष शिवाजी देव बर्मन ने अपने पत्र में लिखा कि कोरोना संक्रमित होने के बाद वह निजी अस्पताल में उपचार करवा रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें अस्पताल या सरकार के तरफ से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली, जबकि उपचार में काफी पैसे खर्च हो रहे हैं।

कोरोना के 18 मरीज पॉजीटिव मिले

करनाल/आशुतोष गौतम : डीसी निशांत कुमार यादव ने सिविल सर्जन की रिपोर्ट के अनुसार बताया कि जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से संदिग्ध कुल 25262 व्यक्तियों के सैम्पल लिए गए, जबकि इनमें से 24298 की रिपोर्ट नेगिटिव आई है तथा 624 मामले पोजिटिव है, जिनमें से 8 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है, 149 एक्टिव है तथा 469 मरीज ठीक होकर अपने घर चले गए हैं। डीसी ने सीएमओ की रिपोर्ट के अनुसार बताया कि जिला में शनिवार को 18 केस पोजिटिव पाए गए। उन्होंने जिलावासियों से कहा कि वह जरूरी कार्य के लिए ही बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टैंसिंग का ध्यान रखें और अपने आपको निरंतर सैनिटाईजिंग करते रहें।

कोविड महामारी में मोदी-मनोहर ने किया स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार : कृष्णपाल गुर्जर

केंद्रीय राज्यमंत्री ने वार्ड नंबर 5 में किया नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास

फरीदाबाद/मनोज तोमर

कोविड-19 जैसी महामारी से बचाव के लिए जहाँ पूरी दुनिया जूझ रही है, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता की सुरक्षा व स्वास्थ्य हित के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। जनता के स्वास्थ्य के लिए अनेक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया गया है। सरकार के अथक प्रयासों के कारण ही देश व प्रदेश में इस बीमारी से काफी हद तक मरीज ठीक हो रहे हैं। यह वक्तव्य शनिवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने वार्ड नंबर-5 में एक नाले के निर्माण कार्य का शिलान्यास करने के उपरांत जनता को संबोधित करते हुए कहे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कुरुक्षेत्र स्कूल से लेकर सोहना रोड तक गोछी ड्रेन में पानी की निकासी के लिए इस नाले के निर्माण पर 58 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। यह आगामी 4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरह कुरुक्षेत्र स्कूल से लेकर सारन चौक तक एक नाला पास हो गया है, जिस पर 78 लाख रुपए की लागत आएगी, उसका कार्य भी बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा।

परशुराम कालोनी में शिव परिवार नए भवन में विराजमान

पानीपत/कौशिक : नगर निगम के वार्ड न.3 परशुराम कालोनी में आज शिव परिवार को नए भवन में विराजमान किया गया। मुख्य पुजारी अरुण पांडे सहित सभी भक्त जनों ने ने शिव परिवार का वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया। इसके बाद हवन किया गया जिसमें भक्तों ने पूर्णाहुति डाली। इसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमेटी के प्रधान जेपी शर्मा, सुशील शर्मा, बनारसी दास शर्मा, जय कुमार जांगड़ा, सत्यनारायण शर्मा, वेद प्रकाश, युधिस्टर शर्मा, राम कुमार जांगड़ा, अमन, मीना जांगड़ा, शिवानी व पूनम जांगड़ा आदि मौजूद रहे।

सतेन्द्र जांगड़ा बने ओबीसी महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष

पानीपत/कौशिक : राष्ट्रीय कोर कमेटी की सहमति से ओबीसी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष विजय कुमार व संरक्षक वैभव सिंह लोधी ने पानीपत निवासी सतेंद्र जांगड़ा को हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति पर जांगड़ा ने अध्यक्ष विजय कुमार व संरक्षक वैभव सिंह लोधी का आभार जताया।

अवैध शराब ले जाते दो व्यक्ति गिरफ्तार

हथीन/माथुर : एवीटी स्टाफ की टीम ने एक कार से दो पेटी शराब सहित दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार एवीटी स्टाफ के एएसआई सुभाष स्टाफ ने कलसाडा मोड भंगूरी गांव में नाकाबंदी दौरान कार को रोककर जब उसकी तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से रखी हुई एक पेटी बीयर और एक पेटी रॉयल स्टाक विहस्की बरामद हुई। गिरफ्तार कार सवार युवकों ने अपने नाम महेश व वेदपाल निवासी महेशपुर बताया। दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज पुलिस बेल पर रिहा कर दिया गया।

फरीदाबाद में बदमाशों ने दिन दिहाड़े युवक पर की फायरिंग

फरीदाबाद/मनोज तोमर

फरीदाबाद अब तेजी से अपराध जगत के निशाने पर है। इस शहर में ना केवल लूटपाट, चोरी, छीना झपटी की घटनाएं हो रही हैं बल्कि दिन दहाड़े व सरेआम हथियारों के बल पर धांय-धांय भी होने लगी है। शनिवार को बदमाशों ने हत्या के उद्देश्य से एक युवक पर फायरिंग कर दी परंतु गनीमत यह रही की युवक बाल-बाल बच गया। गोली की आवाज सुनते ही लोग एकत्रित हो गए और हमलावर फरार हो गए। यह मामला है अति व्यस्त कहे जाने वाले सैक्टर 9-10 के चौक का। सैक्टर की डिवाईडिंग रोड जहां हर समय सैंकड़ों लोग मौजूद रहते हैं, वहां एक युवक पर हवाई फायर कर उसे मारने का प्रयास किया गया। हालांकि इस हमले में युवक बच गया, मगर बदमाशों ने अपनी तरफ से उसकी हत्या का पूरा प्रयास किया था। जानकारी के अनुसार गांव नवादा निवासी प्रदीप सुबह उपरोक्त सेक्टर की डिवाईडिंग रोड से बाईक पर जा रहा था। तभी ब्रेजा गाड़ी में आए कुछ लोगों ने प्रदीप पर फायर कर दिया। यह घटना ठीक ब्रहमकुमारीज सेंटर के सामने घटित हुई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। हमले के बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोली का खोल भी बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह मामला आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी की रिकार्डिंग देखने के बाद आरोपियों का पता चल सकता है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई आरंभ कर दी है।

kotak कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

एससीओ नं. 153-154-155, सैक्टर 9-सी, चंडीगढ़, फोन नं. 0172-5008654, WWW.KOTAK.COM

बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

सुरक्षाहित अधिनियम 2002 की वित्तीय संपत्तियों और प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण और विनियम और सुरक्षा (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 8 (5), 8(6) 9(1) एवं 6 (2) के अन्तर्गत द्वारा अचल सम्पत्तियों की बिक्री सूचना के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

नियमों 2002 सुरक्षाहित (प्रवर्तन) के साथ पढ़े जाते सुरक्षाहित अधिनियम 2002 (2002 की 3) के वित्तीय सम्पत्तियों और प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण और विनिर्माण के अनुसार (जैसे विशेष निम्न) **मैसर्ज मुना लाल रामधारी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड** के साथ प्रतिभूतिकरण और पुन: निर्माण निम्न जारी की गई सम्पत्ति/ों की बिक्री के लिए **कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल)** के अधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी निविदाएं/पेशकशें आमंत्रित करते हैं, पूरी/शेष दायित्व में डिसचार्ज पर कॉलिंग करते हैं, जो डिमांड नोटिस को जारी करने के बाद रकम जमा करवानी है। सम्पत्तियां बिना रिकोर्स पर आधारित **'जैसे है जहां है' और 'क्या है पर आधारित'** बिक्री के उद्देश्य के लिए सम्पत्तियां हैं।

ऋणदाता/ें का नाम एवं पता	बकाया रकम	अचल सम्पत्ति का का विवरण
1. **मैसर्ज मुना लाल एंड सन्स (एमएलएस) (ऋणदाता)** इसके प्रोपराइटर **श्रीमान पुनीत जैन,** पता: 3970-सी, नया बाजार, दिल्ली-110006। **द्वितीय पता:** प्राइवेट नं. 8, प्लाट नं. 3, अंडर हिल लेन, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-110054. 2. **श्रीमती स्नेहलता जैन (ग्रांटर)** पता: 3970-सी, नया बाजार,दिल्ली-110006, **द्वितीय पता:** प्राइवेट नं. 8, प्लाट नं. 3, अंडर हिल लेन, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-110054, 3. **श्रीमान लवेश जैन (ग्रांटर)** पता: 3970-सी, नया बाजार, दिल्ली-110006, **द्वितीय पता:** प्राइवेट नं. 8, प्लाट नं. 3, अंडर हिल लेन, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-110054, 4. **मैसर्ज मुना लाल रामधारी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (ग्रांटर/मोर्टगेजर) पता:** प्राइवेट नं. 8, प्लाट नं. 3, अंडर हिल लेन, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-110054, 5. **स्वर्गीय श्रीमान तरुण जैन (पता और उसके कानूनी वारिसों के माध्यम से) पता:** 3970-सी, नया बाजार दिल्ली-110006, **द्वितीय पता:** प्राइवेट नं. 8, प्लाट नं. 3, अंडर हिल लेन, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-110054।	रु. 1,78,67,326.25 जो 03.08.2019 को अगले ब्याज सहित लागतों और डिसचार्जिज के साथ है।	**सम्पत्ति ए:** गैर कृषि सम्पत्ति मालिक **मैसर्ज मुना लाल रामधारी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड इसके निर्देशक श्रीमती स्नेह लता जैन पत्नी/स्वर्गीय श्रीमान तरुण जैन एवं श्रीमान लवेश जैन पुत्र स्वर्गीय श्रीमान तरुण जैन और पुनीत जैन पुत्र स्वर्गीय श्रीमान तरुण जैन के माध्यम से। सम्पत्ति ए:** बराबर के बंधक अचल सम्पत्ति पर **रिहायशी सम्पत्ति प्राइवेट नं. 08 में स्थित प्लाट नं. 03, अंडर हिल लेन, अंडर हिल रोड के अन्तर्गत, सिविल लाईन दिल्ली 110054** या इसके सभी वर्तमान और भविष्य के स्ट्रकचर या उनके बारे सभी फिटींगज और इनमें फिक्सचर्ज के साथ ए फिक्सड जमीन या स्थाई फिक्सड जो कुछ वर्तमान और भविष्य में जमीन से संलग्न **मैसर्ज मुना लाल रामधारी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड** द्वारा इसके **निर्देशक श्रीमती स्नेह लता जैन पत्नी श्रीमान स्वर्गीय तरुण जैन और श्रीमान लवेश जैन पुत्र स्वर्गीय श्रीमान तरुण जैन और पुनीत जैन पुत्र स्वर्गीय श्रीमान तरुण जैन** के माध्यम से, **जैसे सीमा के अन्तर्गत:** पूरब में पड़ती हिल लेन के अन्तर्गत पश्चिम: में पड़ती अट्टा-उर-रहमान लेन, उत्तर में पड़ती सम्पत्ति नं. 1 हिल लेन के अन्तर्गत, दक्षिण में पड़ती सम्पत्ति नं. 5 हिल लेन के अन्तर्गत इसके सभी पीस एवं पार्सल। सभी वर्तमान और भविष्य और उनके ढांचों एवं सुविधा/मैमूल अधिकारों ने अनुलग्नक दिया।
1) **मैसर्ज शियोनाथ राय राम धारी (एसआरआरडी)** (ऋणदाता) **श्रीमान तरुण जैन** उसके कानूनी वारिसों के माध्यम से **पता** : 3970-सी, नया बाजार, दिल्ली-110006, 2) **स्वर्गीय श्रीमान तरुण जैन (पता होना)** पता: 3970-सी, नया बाजार दिल्ली-110006, **द्वितीय पता:** प्राइवेट नं.8, प्लाट नं. 3, अंडर हिल लेन, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-110054, 3) **मैसर्ज मुना लाल रामधारी एग्रो प्राइवेट लिमिटेड (ग्रांटर/मोर्टगेजर), पता:** प्राइवेट नं. 8, प्लाट नं. 3, अंडर हिल लेन, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-110054. 4) **श्रीमान पुनीत जैन (ग्रांटर),** पता: 3970-सी, नया बाजार, दिल्ली-110006, **द्वितीय पता:** प्राइवेट नं. 8, प्लाट नं. 3, अंडर हिल लेन, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-110054. 5) **श्रीमान लवेश जैन (ग्रांटर)** पता: 3970-सी, नया बाजार, दिल्ली-110006, **द्वितीय पता:** प्राइवेट नं. 8, प्लाट नं. 3, अंडर हिल लेन, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-110054, 6, **श्रीमती स्नेह जैन (ग्रांटर)** पता: 3970-सी, नया बाजार, दिल्ली-110006, **द्वितीय पता:** प्राइवेट नं. 8, प्लाट नं. 3, अंडर हिल लेन, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-110054, 7) **श्रीमती कुसुम जैन (ग्रांटर)** पता: 3970-सी, नया बाजार, दिल्ली-110006, **द्वितीय पता:** प्राइवेट नं. 8, प्लाट नं. 3, अंडर हिल लेन, अंडर हिल रोड, सिविल लाइन, नई दिल्ली-110054.	रु. 2,36,41,513.39 जो 03.08.2019 को अगले ब्याज सहित लागतों और डिसचार्जिज के साथ है।	

आरक्षित कीमत: रु. 16,70,00,000/- (केवल सोलह करोड़ सत्तर लाख रुपए)
जमा धरोहर राशि: रु. 1,70,00,000/- (केवल एक करोड़ सत्तर लाख रुपए)

निविदा/पेशकश प्राप्त करने की अंतिम तिथि और स्थान: 25.08.2020 को सायं 4.00 बजे तक कोटक महिन्द्रा बैंक, एग्री बिजनेस ग्रुप, एससीओ नं. 153-154-155, सैक्टर 9-सी, चंडीगढ़

निविदा/पेशकश खोलने का स्थान एवं तिथि: 26.08.2020 को दोपहर 12.30 बजे कोटक महिन्द्रा बैंक, एग्री बिजनेस ग्रुप, एससीओ नं. 153-154-155, सैक्टर 9-सी, चंडीगढ़

निलामी की नियम एवं शर्तें: 1. इच्छुक पार्टियां सम्पत्ति की बिक्री के लिए पेशकश लिफाफे पर मोहरबंद कवरज में सुपरक्रीप्टिंग में अपनी पेशकश भेजें/भेज सकते हैं। (असैस्ट/सम्पत्तियां का लिखित में पता) के साथ-साथ जमा धरोहर राशि (ईएमडी) **पे ऑर्डर/डीडी द्वारा चंडीगढ़** में, **कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड** के पक्ष में जकमा करवाएं। ईएमडी बिना ब्याज के होगी। सफल पार्टियों के मामले में सम्मिलित होगी और ऐसी पार्टी द्वारा चूक के मामले में धरोहर राशी जब्त कर ली जाएगी। बताई गी सम्पत्ति/ें उपरोक्त जारी आरक्षित कीमत से निम्न पर नहीं बेची जाएगी। 2. सफल पार्टी को बताई गई रकम का 25 प्रतिशत (ईएमडी की कंफर्मेशन सहित) शीघ्र ही उक्त दिवस पर (26.08.2020) को पे ऑर्डर/डीडी द्वारा जमा करवाना होगा और शेष 75 प्रतिशत बिक्री की कंफर्मेशन की तिथि से 15 दिनों या इससे पहले जमा करवाना होगा। उसके/उसकी बिक्री डिसक्रिएशन में AO अदायीगियों के लिए लिखित में समय सीमित है। नियुक्त की गई तिथि पर बताई गई अदायगी असफल होने के मामले में ईएमडी और सारी रकम जो खड़ी होगी बिना किसी सूचना के जब्त कर ली जाएगी और अगली बिक्री कंफर्मड निविदक के पक्ष में जिसकी पेशकश उच्च मूल्य या सम्पत्तियों की पुन: बिक्री पर कर दी जाएगी। 3. ऐसी सारी अदायीगियां कोटक महिन्द्रा बैंक के पक्ष में बैंकर्ज चैक या डिमांड ड्राफ्ट के प्रपत्र में ही अदा होगी। 4. अधिकृत अधिकारी शेष ईएमडी अंतिम 3 निविदकों को निविदाओं के खोलने की तिथि से 2 माह तक दे सकते हैं। 5. नियम के अनुसार जैसे उचित स्टम्प ड्यूटी/करों, पंजीकरण शुल्क वगैरहा में कनवेंस/बिक्री के लिए डिसचार्ज/शुल्क के साथ सफल पार्टी को देनी होगी। 6. AO किसी वसूली ग्रहणाधिकार, सम्पत्ति कर या किसी अन्य सरकारी देय या बिक्री के अन्तर्गत सम्पत्ति/सम्पत्तियों के संबंध में जिम्मेदार नहीं होगा। 7. AO बिना किसी कारण के बेची गई सम्पत्ति या किसी पेशकश को स्वीकार या रद्द या स्थगित/पोस्टपोन करने का अधिकार रखता है। 8. बैंक द्वारा कंफर्मेशन के विषय पर ही बिक्री होगी। 9. इस घोषणा में किसी जोखिम, चूक के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। 10. निविदा- सह-निलामी दस्तावेज **कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, दिल्ली, एग्री बिजनेस ग्रुप** बैंकों के माध्यम से कार्यालय समय के दौरान रुपए 1000/- ही अप्रतिदेय शुल्क की अदायगी डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में चंडीगढ़ में अदायगी योग्य हो। सम्पत्तियों और इससे संबंधित जांच इच्छुक पार्टियां **अधिकृत अधिकारी कोटक महिन्द्रा बैंक, एग्री बिजनेस ग्रुप, एसएसी नं. 153-154-155, सैक्टर 9 सी, चंडीगढ़,** से संपर्क करत सकती हैं। जिनका **मोबाइल नं. 9808080828, 8800382488** कार्यालय समय के दौरान (**प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे**) तिथि 20.08.2020 को संपर्क कर सकते हैं। 11. ऋणदाता/ग्रांटर या संबंधित सम्पत्तियों के मालिक या उनके प्रतिनिधि निविदाओं के खोलने के समय वर्तमान का पता कर सकते हैं। उनको हिदायत दी जाती है कि शेष स्वयं या उनके विधिवत अधिकारी और सशक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से पता करें। 12. कोटक महिन्द्रा बैंक सम्पत्ति के पार्ट या पूरी बिक्री का अधिकार आरक्षित रखते हैं। AO अंतिम तीन बोलीकारों के संबंध में उसकी/उसके परमिट इंटर-से निर्णय ले सकते हैं।

यह प्रकाशन ऋणदाता/ों और ग्रांटर/ों से 30 दिनों की सूचना उपरोक्त जारी की गई तिथि पर यदि पूरी अदायगी न की गई तो बिक्री की धारणा करने का इरादा होगा।

तिथि: 18.07.2020 स्थान: दिल्ली अधिकृत अधिकारी